न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 130 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांटस	**रेसपोडेंटगण**
1. हीरालाल पुत्र अमरामजी जाति सुथार उम्र 66 वर्ष निवासी मकान नंबर 33 बालाजी नगर जाधपुर जिला जोधपुर 2. लालाराम पुत्र अमरामजी जाति सुथार उम्र 58 वर्ष निवासी विश्वकर्मा कॉलोनी वार्ड नंवर 22 बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर	1. पुरखाराम उर्फ शांतिपुरी पुत्र पेमला चेला हरीपुरी महाराज उम्र 41 वर्ष, निवासी कंवला मठ जालौर हाल कालका माता मन्दिर देवगढ आगोलाई तहसील व जिला जोधपुर 2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधाकर तहसीलदार पचपदरा 3. मैनेजर जे टी जी बी बैंक शाखा बागावास तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 132 / 2018 बअनवान पुरखाराम बनाम हीरालाल वगै में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.08.2022 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री देवीसिंह महेचा अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री अचलाराम थोरी रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 12.04.2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मौजा बागावास पटवार हल्का बागावास में कृषि भूमि मूल खसरा संख्या 566 रकबा 38.08 बीघा भूमि रेस्पोडेंट संख्या 01 के हक पूर्वाधिकारी पेमला के कब्जा काश्त खातेदारी की अवस्थित रही। तदोपरांत पेमला की मृत्यु होने पर पेमला के प्रथम श्रेणी के वारिसान रेस्पोडेंटस संख्या 01 पुरखाराम व उसके भाई अनोपाराम व वादी की बहिन गीता व गुटी के नाम राजस्व रेकर्ड में जरिये फौतदगी म्यूटेशन दर्ज हुआ। तदोपरांत वादी की सगी बहिन गुटी की मुत्यु हो जाने के पश्चात भी राजस्व रेकर्ड में मृतक गुटी का नाम बतौर खातेदार दर्ज रहा। फौतेदगी नामान्तकरण होने के बाद रेस्पोडेंट संख्या 01 ने सांसारिक जीवन त्याग कर संयास लेकर मठाधीश बन गये। राजस्व रेकर्ड में वादी की मृतक बहिन गुट्टी के नाम से चल रही गलत खातेदारी की प्रविष्टियां का नाजायज फायदा उठाने एवं वादी की मृतक बहिन गुट्टी के हिस्से

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

को हड़प करने की बदनियति से वर्तमान प्रकरण के प्रतिवादी संख्या 01 ता 02 ने अन्य व्यक्तियो के साथ मिलकर आपराधिक गिरोह बनाया और मूल सालिम कृषि भूमि को अपने नाम करवा दिया। प्रतिवादी संख्या 01 ता 02 ने एकराय होकर वादी व वादी की मृतक बहिन गुट्टी को साश्य नुकसान कारित करने की नियत से फर्जी व कुटरचित मूल्यवान प्रतिभूतियां यानि बेचाननामे कुटरचना के माध्यम से वादी की बहिन के सहखातेदारी की भूमि के भाग को भी हड़प करने की नियत से वादी की मृतक बहिन गुट्टी के स्थान पर अन्य लड़की को प्रतिवादी संख्या 01 ता 02 व उनके गिरोह के अन्य सदस्यों ने खड़ा कर बेचाननामा पंजीवद्ध करवाया, जिसकी कोई जानकारी वादी को नहीं होने दी। इसलिए हस्तगत वाद वादी को अपने हक के लिए पेश करना पड़ा। हस्तगत वाद का सम्मन न तो अपीलांट को दिये, और न ही वाद पत्र के तथ्यों की प्रतिवादीगण को कोई जानकारी ही है, अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई सबूत का कोई अवसर नहीं दिया न अपीलांट को सुना गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन अपीलांट से व्यक्तिगत रूप से सम्यक तामील नहीं करवाये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी पेमला की होना रेस्पोडेंटस द्वारा अपने दावा व साक्ष्य शपथ–पत्र में बताया गया है जबकि वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी होने बाबत प्रकरण में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये। अपीलाधीन आराजी अपीलांटगण द्वारा रजिस्टर्ड बेचान के आधार पर क्रय की गई। वर्तमान प्रकरण एक युक्तिसंगत प्रकरण हैं, जिसमें श्री अपील न्यायालय का विधिक हस्तक्षेप आवश्यक हैं, यदि ऐसे युक्तिसंगत मामले में श्री अपील न्यायालय के द्वारा विधिक हस्तक्षेप नहीं किया जाता हैं, तो अपीलांट के विधिक हक प्रतिकूल रूप से प्रभावी होंगे, परिणाम स्वरूप अपीलांट अपने हक, हिस्से की भूमि से वंचित रह जायेगा। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि मौजा बागावास पटवार हल्का बागावास में कृषि भूमि मूल खसरा संख्या 566 रकबा 38.08 बीघा भूमि रेस्पोडेंट संख्या 01 के हक पूर्वाधिकारी पेमला के कब्जा काश्त खातेदारी की अवस्थित रही। तदोपरांत पेमला की मृत्यु होने पर पेमला के प्रथम श्रेणी के वारिसान रेस्पोडेंटस संख्या 01 पुरखाराम व उसके भाई अनोपाराम व वादी की बहिन गीता व गुटी के नाम राजस्व रेकर्ड में जरिये फौतदगी म्यूटेशन दर्ज हुआ। तदोपरांत वादी की सगी बहिन गुटी की मुत्यु हो जाने के पश्चात भी राजस्व रेकर्ड में मृतक गुटी का नाम बतौर खातेदार दर्ज रहा। फौतेदगी नामान्तकरण होने के बाद रेस्पोडेंट संख्या 01 ने सांसारिक जीवन त्याग कर संयास लेकर मठाधीश बन गये। राजस्व रेकर्ड में वादी की मृतक बहिन गुट्टी के नाग से चल रही गलत खातेदारी की प्रविष्टियां का नाजायज फायदा उठाने एवं वादी की मृतक बहिन गुट्टी के हिस्से को हड़प करने की बदनियति से वर्तमान प्रकरण के प्रतिवादी संख्या 01 ता 02 ने अन्य व्यक्तियो के साथ मिलकर आपराधिक गिरोह बनाया और मूल सालिम कृषि भूमि को अपने नाम करवा दिया। प्रतिवादी संख्या 01 ता 02 ने एकराय होकर वादी व वादी की मृतक बहिन गुट्टी को साश्य नुकसान कारित करने की नियत से फर्जी व कुटरचित मूल्यवान प्रतिभूतियां यानि बेचाननामे कुटरचना के माध्यम से वादी की बहिन के सहखातेदारी की भूमि के भाग को भी हड़प करने की नियत से वादी की मृतक बहिन गुट्टी के स्थान पर अन्य लड़की को प्रतिवादी संख्या 01 ता 02 व उनके गिरोह के अन्य सदस्यों ने खड़ा कर बेचाननामा पंजीबद्ध करवाया, जिसकी कोई जानकारी वादी को नहीं होने दी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस के नाम रजिस्टर्ड सम्मन भिजवाये गये लेकिन जानबुझकर अपीलांटस न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हिस्सों लेकर अपीलांटस को कोई आपति नहीं है तथा निर्णय व डिक्री राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार ही पारित की गई। अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पूर्ण रूप से पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस के नाम जारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

सम्मनों पर व्यक्तिगत रूप से सम्यक तामील नहीं करवाये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटस की अनुपस्थिति में एकपक्षीय पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय वाद की सुनवाई हेतु निर्धारित प्रक्रिया (Procedure) का पालन नहीं किया गया। न तो वाद में तनकीयात कायम की गई है और न उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य ली गई है तथा निर्णय भी एकतरफा पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांट की अपील को वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु रिमाण्ड करना उचित समझता हूँ।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 132/2018 बअनवान पुरखाराम बनाम हीरालाल वगै में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.08.2022 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटस को जबावदावा, साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर देकर, वाद एवं जबावदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 06.06.2023 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

(प्रतिष्ठा पितलिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 12.04.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर